[illegible] 222/12

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18-7-18	वकलाये फरीकैने उपस्थित । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई । बहस बगौर तनकीह की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत की आदेशिका का अवलोकन करने पर आया कि अदालत मातहत में दिनांक 7-9-2012 के बाद पत्रावली में आदेशिका नहीं लिखी जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव किसी दिनांक को आये तथा उन पर किसी पृथंकार ने आपत्ति की अथवा नहीं स्पष्ट नहीं है । किन्तु अपीलार्थी ने यह अपील प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध पेश की है । प्राथमिक डिक्री दिनांक 13-8-2012 को जारी की है। जिसमें प्रतिवादीगण का कोई जबाब दावा नहीं आया जबकि वादीगण का दावा उदघोषणा एवं बंटवारा का जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी करने से पूर्व जबाब दावा लिया जाकर विधिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुये उदघोषणा के बिन्दु को निर्णित करनें के बाद ही प्राथमिक डिक्री के लिये विभाजन प्रस्ताव के आदेश दिये जाने चाहिये किन्तु प्रकरण में प्रतिवादीगण का कोई जबाब दावा नहीं आया बिना विधिक प्रक्रिया को पूर्ण किये प्राथमिक डिक्री जारी की है जिसको यथावत रखा जाना उचित	

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	

नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सीकर0 का निर्णय एवं डिक्री दि0 13-8-2012 को खारिज किया जाता है तथाप्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें ।पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 16-8-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरडा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर